

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(93)शिक्षा-2/2018 जयपुर दिनांक 17.12.2018 के द्वारा श्री धर्मवीर पाराशर, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि मालपुर, अलवर का परिवीक्षाकाल में 113 दिवस का असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

क्र. सं.	लिये गये अवकाश	दिनों की संख्या
1	26.06.2016 से 30.06.2016	05
	16.08.2016 से 30.08.2016	15
	01.09.2016 से 08.09.2016	08
	15.09.2016 से 22.09.2016	15
	03.10.2016 से 07.10.2016	05
	11.01.2017 से 23.01.2017	13
	18.03.2017 से 24.03.2017	07
	06.11.2017 से 20.11.2017	15
	22.11.2017 से 06.12.2017	15
	08.12.2017 से 22.12.2017	15
	कुल असाधारण अवकाश दिवस	113

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 15.10.2018 द्वारा 90 दिवस का असाधारण अवकाश पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है। 'वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 11.06.2014 के प्रावधानानुसार कार्मिक द्वारा बढी हुई परिवीक्षा अवधि में लिये गये अवकाशों के आधार पर नियमानुसार कुल 173 दिवस की वृद्धि होगी। कार्मिक के असाधारण अवकाश अवधि का लेखा एवं इन्द्राज उसकी सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से किया जावे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,

बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/अवकाश/17
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक:- 09/01/2019

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
4. संबंधित संस्था प्रधान.....
5. संबंधित कार्मिक.....
6. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7 (80) शिक्षा-2/2018 जयपुर दिनांक 28.09.2018 के द्वारा श्री देवेन्द्र कुमार भूपेश, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि टतकोर, झुंझुनूं का परिवीक्षाकाल में 59 दिवस का असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

क्र. सं.	लिये गये अवकाश	दिनों की संख्या
1	20.04.2016 से 23.04.2016	04
	29.07.2016 से 22.08.2016	25
	20.02.2017 से 11.03.2017	20
	16.03.2017 से 25.03.2017	10
	कुल असाधारण अवकाश दिवस	59

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 14.08.2018 द्वारा 90 दिवस का असाधारण अवकाश पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है। वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 11.06.2014 के प्रावधानानुसार कार्मिक द्वारा बढी हुई परिवीक्षा अवधि में लिये गये अवकाशों के आधार पर नियमानुसार कुल 119 दिवस की वृद्धि होगी। कार्मिक के असाधारण अवकाश अवधि का लेखा एवं इन्द्राज उसकी सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से किया जावे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस
निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/अवकाश/17

दिनांक:- 09/01/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
4. संबंधित संस्था प्रधान.....
5. संबंधित कार्मिक.....
6. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर